



2026:AHC:63054

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10035 / 2026

प्रभुदयाल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: नन्हे लाल त्रिपाठी

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री नन्हे लाल त्रिपाठी, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

2. प्रस्तुत जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या 0408 / 2025, धाराओं 85, 80(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, थाना तालबेहट, जनपद ललितपुर में विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन कथानक के अनुसार, यह आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई कि प्रथम सूचनादाता की पुत्री का विवाह 08.03.2024 को आवेदक के पुत्र के साथ हुआ था। आवेदक एवं अन्य परिवारजन विवाह के समय दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे और वे एक मोटरसाइकिल तथा 2,00,000/- रुपये के लिए मृतका को प्रताड़ित करते थे, तत्पश्चात् मृतका ने 13.09.2025 को आत्महत्या कर ली। आवेदक के विद्वान

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचनादाता के बयान के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि दहेज की माँग के संबंध में कोई विशेष आरोप नहीं था और मृतका की मृत्यु से पूर्व प्रथम सूचनादाता अपने दामाद के अनुरोध पर स्वयं आवेदक के घर आया था। प्रथम सूचनादाता मृतका के घर से चले गए और अपने घर वापस लौट गए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को इस प्रकरण में मात्र इसलिए मिथ्या रूप से फँसाया गया है क्योंकि वह मृतका का ससुर है, परंतु उसके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि स्वतंत्र साक्षी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आवेदक का पुत्र मृतका से छोटी-छोटी बातों पर झगड़ता था, इसलिए दहेज की माँग नहीं थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक एक वृद्ध व्यक्ति है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सह-अभियुक्त (मृतका की सास) को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9308 / 2026 में दिनांक 18.03.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है। इसलिए आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, इसलिए अभिरक्षीय पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 10.11.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, परंतु उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक प्रकरणों की भारी लंबितता को दृष्टिगत रखते हुए एवं 2025 एससीसी ऑनलाइन एस.सी. 3038 में प्रकाशित कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए और प्रकरण की योग्यता पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आवेदक - **प्रभुदयाल**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निजी मुचलका तथा इसी राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य से छेड़छाड़ न करे।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की माँग किए विचारण / अन्वेषण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में लिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. संबंधित न्यायालय मुचलके स्वीकार करने से पूर्व आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास प्रमाण का सत्यापन करेगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की कंप्यूटर-जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

10. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित जेल को प्रेषित करेगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जमानत प्रदान किए जाने हेतु नीतिगत रणनीति के संबंध में, स्वप्रेरणा से दायर रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 सन् 2021 में पारित आदेश, दिनांक 31.01.2023, जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित है, के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए आवेदक को प्रेषित की जाए।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

24 मार्च, 2026

रमा कांत